कार्यालय अधीक्षक शहीद जन–नायक टंट्या भील जिला जेल खण्डवा (म.प्र.)

e-mail id :- dcjailkhandwa@gmail.com & jailknwbs@gmail.com Phone & Fax No. 0733-2224172

क्र. 761 /निर्वाह/2026 खण्डवा, दिनांक 08/05/2026

ई – टेण्डरिंग निविदा आमंत्रण सूचना

समस्त पंजीकृत एंव प्रतिष्ठत फर्मो को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 मे जिला जेल खण्डवा मे पदस्थ जेल अधीक्षक के उपयोग हेतु किराए से वाहन लिए जाने के लिए ई–निविदा वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर निविदाएं आमंत्रित की जानी है।

निविदा की जानकारी वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	दिनांक व समय	स्थान
01	प्री–बीड मीटिंग	14/05/2026 प्रातः 11.00 बजे	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल खण्डवा
02	निविदा फॉर्म क्रय करने की अंतिम तिथि	04/06/2026 शाम 17.00 बजे तक	वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर क्रय किए जा सकेंगे।
03	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	04/06/2026 शाम 17.00 बजे तक	वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जाएगी।
04	तकनीकी निविदा (आवश्यक दस्तावेज) खोलने तिथि	06/06/2026 दोपहर 12.00 बजे	अधीक्षक जिला जेल खण्डवा कार्यालय में जिसमे निविदा प्रस्तुत की गई है।
05	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	06/06/2026 शाम 17.00 बजे	अधीक्षक जिला जेल खण्डवा कार्यालय में जिसमे निविदा प्रस्तुत की गई है।

निविदा में किया गया कोई भी संशोधन ई–निविदा वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ही किया जाएगा। जिसकी सूचना जिला जेल खण्डवा के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। निविदा संबंधित समस्त कार्रवाही जेल अधीक्षक जिला जेल खण्डवा द्वारा की जाएगी।

Aditi

जेल अधीक्षक
जिला जेल खण्डवा म.प्र.

कार्यालय जेल अधीक्षक, शहीद जननायक ट्ंटया भील, जिला जेल खण्डवा(म.प्र.)

e-mail id :- dcjailkhandwa@gmail.com **Phone & Fax No. 0733-2224172**

:: वार्षिक ई निविदा वर्ष 2026-27 ::

-- निविदा की शर्ते --

1. जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 83/वाहन शाखा/2025 भोपाल दिनांक 02/01/2025 के अनुक्रम मे जिला जेल खण्डवा मे पदस्थ जेल अधीक्षक / कार्यालय के उपयोग हेतु पात्रतानुसार किराए के वाहन लिए जाने की स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत ई - टेण्डरिंग के माध्यम से अर्थात ऑनलाईन की जाएगी।
2. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 05 लाख रू. तक 500 प्रति निविदा फॉर्म ऑनलाइन लेखा शीर्ष 0056 जेलें-800 अन्य प्राप्तियाँ में करना होगा।
3. **निविदा प्रपत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है –**
   - I. संस्था के पंजीयन की वैध प्रति ।
   - II. वाहन के टैक्सी कोटा में पंजीयन की वैध प्रति।
   - III. वाहन के कांप्रिहेनसिव बीमा पत्र की छायाप्रति ।
   - IV. वाहन के सेल टैक्स चुकता (पैड) प्रमाण–पत्र की छायाप्रति
   - V. सर्विस टैक्स की 15 डिजिट वाला कोड नम्बर।
   - VI. निविदा की कुल राशि की 03 प्रतिशत अमानत राशि रुपयें 12000/- Online जमा करना होगी।
   - VII. विभिन्न मॉडल के टैक्सी कोटा में पंजीकृत वाहनों के पंजीयन एवं संस्था की जानकारी संलग्न परिशिष्ट "1" में दी जावे।
   - VIII. सफल निविदाकार को धरोहर राशि के रुप में स्वीकृति राशि का 03 प्रतिशत राशि की एफ.डी.आर. कार्यालय में जमा कराना होगा। जो जेल अधीक्षक जिला जेल खण्डवा के नाम देय होगी।
   - IX. निविदाकार के आधार एवं पेन कार्ड की छायाप्रति
4. निविदा स्वीकृत की सूचना के 15 दिवस के अंदर अनुबंध नहीं किए जाने की दशा मे धरोहर राशि शासन के पक्ष मे राजसात कर ली जाएगी।
5. **अनुबंध की अवधि :-**
   - a. अनुबंध की अवधि कार्यदिश के दिनांक से एक वर्ष की होगी।
   - b. एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तों / कर प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
   - c. महानिदेशक / जेल अधीक्षक को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण दर्शाये एक माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेंगे ।
6. **वाहन से संबंधित सामान्य शर्ते :-**
   - I. वाहन का संधारण मरम्मत एवं शासन के समस्त करों पर होने वाले समस्त व्यय शामिल होगें। किराये की दरे कार्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही दी जावे।
   - II. वाहन वर्ष 01.01.2023 अथवा उसके पश्चात का मॉडल होना चाहिये वाहन टैक्सी कोटा में रजिस्टर्ड होना चाहिये। वाहन का कम्प्रीहेन्सीव इन्श्योरेन्स होना अनिवार्य होगा। जो वाहन टैक्सी कोटा में रजिस्टर्ड नही है, उनके लिये टैक्सी उपयोग की अनुमति होना आवश्यक है।

III. बंधक रखी वाहनों के संबंध में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नही होगा एवं वाहन जब्त होने की दशा में निविदाकार तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगा।

IV. निविदा को स्वीकृत या बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार महानिदेशक जेल / जेल अधीक्षक को होगा।

V. वाहन प्रभारी अधिकारी / संबंधित अधिकारी के नियंत्रण में सदैव उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य हैं।

VI. वाहन किराये का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित दरों पर बिल के सत्यापन के पश्चात ही किया जावेगा।

VII. वाहन की यात्रा वाहन को उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगीं, जिसके लिये वाहन में लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा।

VIII. वाहन के लिये फ्यूल, डीजल / पेट्रोल/आयल की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी।

IX. वाहन चालक संबंधित फर्म के द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो कि 24 घंटे उपलब्ध होना अनिवार्य है। शासकीय कार्य से वाहन चालक को मुख्यालय से बाहर ले जाया जाएगा। वाहन चालक के पास नियमानुसार वाहन चालक की अनुज्ञप्ति (लायसेंस) होना अनिवार्य है व वाहन चालक पूर्णतः स्वस्थ्य होना अनिवार्य है।

X. वाहन का माईलोमीटर हमेशा चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा।

XI. वाहन की मरम्मत तथा शासकीय करों आदि का व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा एवं निविदादाता द्वारा मरम्मत या अन्य कार्य के लिये वाहन ले जाए जाने पर की गई अशासकीय यात्रा का भुगतान विभाग द्वारा नही किया जाएगा।

XII. वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये महानिदेशक / जेल अधीक्षक कार्यालय जिम्मेदार नही रहेगा, इसके लिये निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि प्रदाय किया गया वाहन संस्था मालिक के नाम से पंजीकृत नही है तो संस्था एवं वाहन मालिक के मध्य संपादित करारनामा प्रस्तुत करना होगा।

XIII. प्रवास के दौरान मार्ग में वाहन संबंधित कोई असुविधा होने पर निविदाकार अपनी व्यवस्था एवं स्वयं के व्यय से अधिकारी को यथा स्थान पर पहुंचाने एवं लाने के लिये उत्तरदायी होगा।

XIV. वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घटना से होने वाली आर्थिक क्षति अथवा जनहानी के लिये किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, महानिदेशक / जेल अधीक्षक कार्यालय द्वारा नही की जावेगी। वाहन चोरी, अग्नि दुर्घटना तथा आंदोलन से होने वाली क्षति के लिये भी निविदाकार ही जिम्मेदार होगा।

XV. वाहन खराब होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था निविदाकार को करना होगी। अपरिहार्य परिस्थिति में अन्य वाहन का उपयोग करने के लिये प्रभारी अधिकारी स्वतंत्र रहेगें, जिस पर आने वाले व्यय की क्षतिपूर्ति निविदाकार द्वारा की जावेगीं।

XVI. स्वीकृत दरें एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगीं तथा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करना होगा। जेल अधीक्षक 01 माह पूर्व नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

XVII. म्यूनिसिपल टैक्स, वाहन काम्प्रेहेन्सिव बीमा एवं अन्य टोल टैक्स, सर्विस टैक्स इत्यादि जो शासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभारित किए जायेगें वह निविदाकार को व्यय करना होगा।

XVIII. वाहन की मरम्मत/रख-रखाव अथवा अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग किए जाने की स्थिति में निविदाकार द्वारा उसी स्तर का अन्य वाहन उपलब्ध करना होगा।

7. कर, शास्ती एवं पक्षकारों के मध्य विवाद

I. नियमों / शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरुप वसूल की गई राशि ठेकेदार को वापस नही की जावेगी।

II. अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में महानिदेशक / जेल अधीक्षक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

III. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-10 एवं जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3/दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र (अ) एवं (ब) में 200/- रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टैम्प पर मूल प्रति में राशि रू. 50/- की नोटरी द्वारा प्रमाणित एक शपथ-पत्र भी आवश्यक रूप से दिया जाएगा। शपथ-पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। शपथ पत्र का प्रारूप निम्नानुसार है -

शपथ पत्र-अ

(कारागार अधिनियम-1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं ....जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल .... के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म .... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी पद पर नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

शपथ पत्र-ब

(जेल मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3 बंदी मृत्यु/2015/भोपाल, दिनांक 28.01.2015)

मैं ....जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल .... के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म ....की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म .... के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

IV. किराये से लिये जाने वाले वाहन मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11-16/2012/ नियम / चार भोपाल, दिनांक 06.10.2012 एवं एफ-11-16/2012/ नियम / चार भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2013 के द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार लिया जायेगा।

8. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएगी।
9. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L1) निविदा वापस लेते हुये करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा करने से इंकार करता है, तो उसका टेंडर निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा की गई 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि जप्त कर ली जाएगी और संबंधित खंड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी।
10. प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार करने के लिए अपने अधिकृत मोबाइल नम्बर/Whatsapp Number/Email ID देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिंटेड लेटर पेड पर मोबाइल नम्बर/Whatsapp Number/Email ID मे से कोई एक भी अंकित किया है तो उसे भी मान्य किया जाएगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना समस्त प्रयोजनों के लिए मान्य होगी।
11. निविदा तथा करारनामें के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगे।

जेल अधीक्षक
जिला जेल खण्डवा (म.प्र.)

प्रारूप (परिशिष्ट – 01)
वाहन संबंधी जानकारी

क्र.	वाहन का प्रकार	पेट्रोल / डीजल	वाहन का मॉडल एवं मेक	वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक	वाहन मालिक का नाम व पता

स्थान - ....
दिनांक - ....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

Signature Not Verified
Digitally signed by SHOBHARAM DINKAR
Date: 2026.05.12 12:29:16 IST
Location: Madhya Pradesh-MP